Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जिला सवाई माधोपुर के कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर में पदस्थापित श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा, संस्थापन अधिकारी 25,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 07 जून, शनिवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी सवाई माधोपुर ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा, संस्थापन अधिकारी जिला सवाई माधोपुर को 25,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी से उसके विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही/शिकायत का निस्तारण करने की एवज में आरोपी 25,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा रहा है और दौराने सत्यापन दिनांक 07.06.2025 को परिवादी से 25,000 रूपये की मांग की गई थी।

जिस पर एसीबी रेंज भरपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी चौकी सवाई माधोपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान सिंह चौधरी** के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री भूपेन्द्र विहारी शर्मा, संस्थापन अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को 25,000/- रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।